



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34444

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2292 वर्ष 2026

ललित और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. सिंह राठौर और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ और समान स्थिति वाले अन्य कर्मियों का स्थानांतरण 45वीं बटालियन पीएसी, अलीगढ़ से जिला पुलिस बल में कर दिया गया है, परंतु रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना है।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करें; जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

17 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”